भाग–1

अध्याय–1

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

1. प्रस्तावना

1.1 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियाँ राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक आधारभूत संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, यह क्षेत्र राज्य की जीडीपी में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करता है। ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयूज की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का टर्नओवर एवं छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी का विवरण तालिका–1.1 में दिया गया है।

तालिका–1.1: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर एवं छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18
टर्नओवर	15,166.73	20,024.86	20,024.86
विगत वर्ष के टर्नओवर की तुलना में टर्नओवर में प्रतिशत परिवर्तन	18.71	32.03	–
छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी	2,34,212	2,62,263	2,91,681
विगत वर्ष की जीएसडीपी की तुलना में जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन	5.91	11.98	11.22
छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी से टर्नओवर का प्रतिशत	6.48	7.64	6.87

(स्त्रोत : सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर के आंकड़ों तथा छत्तीसगढ़ शासन की 2017–18 की आर्थिक समीक्षा में इंगित जीएसडीपी के आंकडों के आधार पर संकलित)

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में वृद्धि हुई तथा यह 2015–18 की अवधि में 18.71 प्रतिशत एवं 32.03 प्रतिशत के बीच थी जबकि समान अवधि में छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में वृद्धि 5.91 प्रतिशत एवं 11.98 प्रतिशत के बीच थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान, चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि[1] 7.59 प्रतिशत थी। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि विभिन्न समय अवधियों में वृद्धि दर को मापने की एक उपयोगी पद्धति है। पिछले तीन वर्षों की अवधि में जीएसडीपी की 7.59 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि की तुलना में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों ने टर्नओवर में 9.70 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की। जिसके परिणामस्वरूप जीएसडीपी में इन ऊर्जा क्षेत्रों के उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2015–16 के 6.48 प्रतिशत से बढ़कर 2017–18 में 6.87 प्रतिशत हो गई।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का गठन

1.2 राज्य सरकार की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19 दिसंबर 2008 द्वारा 1 जनवरी 2009 से तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी) का पाँच नई कम्पनियों अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीएचसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल)

[1] चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर [{(2017–18 की राशि /2015–16 की राशि)^(1/3)}–1)]*100

एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीटीआरसीएल) में विभाजित कर दिया गया तथा पूर्ववर्ती सीएसईबी की सभी सम्पत्तियों एवं दायित्वों (पूँजी ₹ 4,475.90 करोड़[2] और ₹ 2,985.41 करोड़ के सीएसईबी के ऋणों एवं पूँजीगत दायित्व सम्मिलित) को स्थानान्तरण योजना नियमावली 2010 के अनुसार इन कम्पनियों के बीच विभाजित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित (31 मार्च 2010) स्थानान्तरण योजना नियमावली 2010 के अनुसार पूर्ववर्ती सीएसईबी के सम्पत्तियों एवं सभी हितों, अधिकारों, दायित्वों इत्यादि को 1 जनवरी 2009 के तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार में स्थानान्तरित एवं निविष्ट कर दिया गया।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण

1.3 इस अवधि में, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों में कोई भी विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण नहीं किया गया ।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.4 31 मार्च 2018 को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का गतिविधि–वार सारांश तालिका–1.2 में दिया है।

तालिका–1.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधि–वार निवेश

गतिविधि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग
विद्युत का उत्पादन	1	2,814.30	8,249.63	11,063.93
विद्युत का पारेषण	1	904.71	1,101.72	2,006.43
विद्युत का वितरण	1	2,263.10	4,160.56	6,423.66
अन्य[3]	2	609.78[4]	–	609.78
योग	**5**	**6,591.89**	**13,511.91**	**20,103.80**

(स्त्रोतः पीएसयूज के वार्षिक लेखों तथा पूँजी एवं ऋणों के स्वीकृति/जारी आदेश के आधार पर संकलित)

31 मार्च 2018 को, पाँच ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 20,103.80 करोड़ था। कुल निवेश में पूँजी 32.79 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 67.21 प्रतिशत था।

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों के 1.13 प्रतिशत (₹ 152.44 करोड़) थे। जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 98.87 प्रतिशत (₹ 13,359.47 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया था। हॉलांकि

---

[2] छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना संख्या 1816/एफ–21/13/13–2/2014 दिनांक 17 जुलाई 2017 के अनुसार पूँजी की समापक राशि में से सीएसपीएचसीएल (₹ 715.58 करोड़), सीएसपीजीसीएल (₹ 1,230.26 करोड़), सीएसपीटीसीएल (₹ 749.05 करोड़), सीएसपीडीसीएल (₹ 1,780.96 करोड़) एवं सीएसपीटीआरसीएल (₹ 0.05 करोड़) की राशि प्रभाजित की गई।

[3] ***अनुलग्नक–1.1*** का स. क्र. 4 और 5.

[4] छत्तीसगढ़ शासन ने सीएसपीएचसीएल को पूँजी के रूप में ₹ 6,591.89 करोड़ जारी किये जिसमें ₹ 5,982.16 करोड़ की राशि सम्मिलित जो कि सीएसपीएचसीएल (होल्डिंग कम्पनी) ने अपनी सहायक कम्पनियों अर्थात सीएसपीजीसीएल (₹ 2,814.30 करोड़), सीएसपीटीसीएल (₹ 904.71 करोड़), सीएसपीडीसीएल (₹ 2,263.10 करोड़) एवं सीएसपीटीआरसीएल (₹ 0.05 करोड़) में निवेश किया था जैसा कि **तालिका–1.2** और ***अनुलग्नक–1.1*** में उत्पादन, पारेषण, वितरण एवं अन्य क्षेत्र में दर्शाया गया है। अतः वर्णित आंकड़ें (₹ 609.78 करोड़) में सीएसपीएचसीएल की पूँजी ₹ 609.73 करोड़ (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सहायक कम्पनियों के लिये प्रदत्त ₹ 5,982.16 करोड़ की राशि को छोड़कर) तथा सीएसपीटीआरसीएल की पूँजी ₹ 0.05 करोड़ सम्मिलित है।

2015–16 की अवधि में, 30 सितम्बर 2015 को सीएसपीडीसीएल के कुल बकाया ऋणों (₹ 1,153.60 करोड़) में से राज्य सरकार ने (मार्च 2016) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना[5] (उदय) योजना के अंतर्गत ₹ 870.12 करोड़ (राज्य सरकार का अंश) वापस ले लिए।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.5 छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2018 को समाप्त विगत तीन वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को प्रत्येक वर्ष प्रदत्त अंश पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण एवं वर्ष के दौरान पूँजी में परिवर्तन के रूप में बजटीय सहायता का संक्षिप्त विवरण तालिका–1.3 में दिया गया है।

तालिका–1.3: वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[6]	2015–16		2016–17		2017–18	
	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि
अंश पूँजी की निकासी (अ)	–	–	1	490.00	–	–
दिये गये ऋण (ब)	–	–	–	–	–	–
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (स)	1	2,658.68	1	1,291.46	1	2,911.29
कुल निकासी (अ+ब+स)	**1**	**2,658.68**	**2**	**1,781.46**	1	**2,911.29**
ऋण का भुगतान/अपलेखन	–	–	–	–	–	–
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	–	–	–	–	–	–
बकाया गारंटी	2	827.46	2	2,739.59	1	2,318.12
गारंटी प्रतिबद्धता	2	1,327.46	2	3,118.88	1	2,955.00

(स्त्रोतः पीएसयूज के वार्षिक लेखों तथा पूँजी, ऋणों एवं गारंटियों के स्वीकृति/जारी आदेश के आधार पर संकलित)

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों में पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता व्यय का विवरण चार्ट–1.1 में दिया गया है।

चार्ट–1.1: पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी में बजटीय सहायता

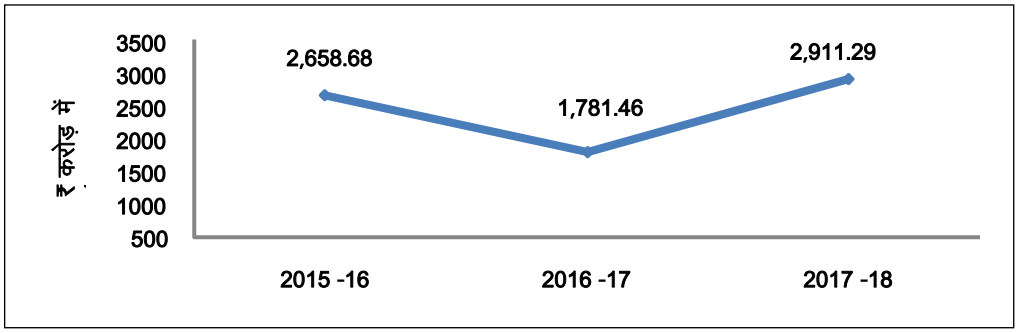

वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान इन पीएसयूज को प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 2,911.29 करोड़ एवं ₹ 1,781.46 करोड़ के बीच थी। वर्ष 2017–18 के दौरान अनुदान/सब्सिडी के रूप में प्राप्त ₹ 2,911.29 करोड़ की बजटीय सहायता

[5] डिस्कॉम के वित्तीय एवं परिचालन सुधार हेतु ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई योजना।

[6] वर्णित राशि केवल राज्य सरकार के बजट से निकासी को दर्शाती है।

विभिन्न योजनाओं[7] के क्रियान्वन एवं राजस्व सब्सिडी के लिए थीं।

इसके अतिरिक्त, ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) ने राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय एवं परिचालन सुधार हेतु उदय योजना प्रारम्भ (20 नवम्बर 2015) की। उदय योजना के प्रावधानों एवं सीएसपीडीसीएल द्वारा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की चर्चा इस अध्याय की कंडिका 1.19 के अन्तर्गत की गई है। वर्ष 2015–16 के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी/अनुदान (₹ 2,658.68 करोड़) में उदय योजना के अर्तगत सीएसपीडीसीएल को प्रदत्त सहायता (₹ 870.12 करोड़) भी सम्मिलित है।

छत्तीसगढ़ शासन राज्य के पीएसयूज को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार गारंटी नियमावली (सीएसजीजीआर), 2003 के अंर्तगत गारंटी प्रदान करती है। सीएसजीजीआर 2003 के प्रावधानों के अंर्तगत, पीएसयूज द्वारा बैकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किए गए ऋण के संबंध में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ऋण लेने वाली संस्थाओं पर एक निश्चित दर से गारंटी शुल्क भारित की जाती है, जिसकी निर्धारित प्रक्रिया एवं समयावधि अनुदान आदेश में निर्दिष्ट होती है। बकाया गारंटी प्रतिबद्धता 2016–17 के ₹ 3,118.88 करोड़ से 5.25 प्रतिशत घटकर 2017–18 में ₹ 2,955 करोड़ हो गयी।

छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखों का समाशोधन

1.6 राज्य पीएसयूज के अभिलेखों में पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों से संबंधित आंकड़ों का छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखों के आंकड़ों से मिलान होना चाहिए। यदि उक्त आंकड़ों का मिलान नहीं होता है, तो संबंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2018 को इससे संबंधित स्थिति तालिका–1.4 में दर्शित है।

तालिका–1.4: वित्त लेखों एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटी

(₹ करोड़ में)

निवेश का प्रकार	वित्त लेखों के अनुसार	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखो के अनुसार	अन्तर
पूँजी	6,416.05	6,591.89	175.84[8]
ऋण	108.71	152.44	43.73
गारंटी	2,318.12	2,190.00	128.12

(स्त्रोतः पीएसयूज एवं वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित)

आंकड़ों में अन्तर विगत कई वर्षों से सतत आ रहे हैं। अंतर के समाशोधन हेतु इस मुद्दे को पीएसयूज/विभागों के साथ समय–समय पर उठाया गया है। पूँजी में सर्वाधिक अंतर (₹ 175.84 करोड़) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में देखा गया। इसलिए, लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि राज्य सरकार एवं संबंधित पीएसयूज को आंकड़ों में अंतर का एक समयबद्ध तरीके से समाशोधन करना चाहिए।

---

[7] एकल बल्ब कनेक्शन के लिए सब्सिडी/अनुदान, कृषि पम्प को निःशुल्क विद्युत आपूर्ति, मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना, कृषि पम्पों का विद्युतीकरण इत्यादि और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को दी गई राजस्व सब्सिडी।

[8] सीएसपीएचसीएल के लेखों में ₹ 175.84 करोड़ की अंश पूँजी की राशि को अंश आवेदन राशि के रुप मे रखा गया जिसके विरुद्ध सीएसएचपीएचसीएल द्वारा कोई भी अंश पूँजी जारी नहीं किया गया है। तदानुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने उसे निवेश नहीं माना है जिसके फलस्वरुप वित्त लेखों में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निवेशित अंश पूँजी की राशि में अंतर है।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

1.7 31 मार्च 2018 को सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे में पाँच ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम थे। किसी भी ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज ने 31 दिसम्बर 2018 तक, वर्ष 2017–18 के लिए लेखे प्रस्तुत नहीं किए। 31 मार्च 2018 को समाप्त हुये विगत तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों के प्रस्तुतीकरण में बकाया से संबंधित विवरण तालिका–1.5 में दिया गया है।

तालिका–1.5: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को प्रस्तुत करने की स्थिति

स. क्र.	विवरण	2015–16	2016–17[9]	2017–18[10]
1.	पीएसयूज की संख्या	5	5	5
2.	वर्तमान वर्ष के दौरान प्रस्तुत किये गये लेखों की संख्या	5	5	5
3.	पीएसयूज की संख्या जिनके द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए लेखें अंतिमीकृत किए गए	–	–	–
4.	विगत वर्षों के लेखों की संख्या जो वर्तमान वर्ष में अंतिमीकृत हुए	5	5	5
5.	पीएसयूज की संख्या जिनके लेखें बकाया है	5	5	5
6.	बकाया लेखों की संख्या	5	5	5
7.	बकाया लेखों की अवधि	1 वर्ष	1 वर्ष	1 वर्ष

(स्त्रोतः 31 दिसम्बर 2018 तक प्राप्त पीएसयूज के लेखों के आधार पर संकलित)

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.8 ऊर्जा क्षेत्र की पाँच कम्पनियों की 31 दिसम्बर 2018 तक की वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम, इनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, ***अनुलग्नक–1.2*** में दिये गये हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित होता है। राज्य सरकार एवं अन्य द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में कुल निवेश की राशि ₹ 20,103.80 करोड़ थी जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 6,591.89 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 13,511.91 करोड़ (सरकारी ऋण 152.44 करोड़[11] एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण ₹ 13,359.47 करोड़) सम्मिलित थे जैसा कि ***अनुलग्नक–1.1*** में दिया गया है। जिसमें से ऊर्जा क्षेत्र के चार पीएसयूज[12] में छत्तीसगढ़ शासन का निवेश ₹ 6,744.28 करोड़ है जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 6,591.84 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 152.44 करोड़ सम्मिलित थे।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में 2015–16 से 2017–18 तक की

---

[9] वर्ष 2016–17 हेतु, 31 दिसम्बर तक प्राप्त लेखों को दर्शाया गया है।

[10] वर्ष 2017–18 हेतु, 31 दिसम्बर तक प्राप्त लेखों को दर्शाया गया है।

[11] ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2015–16 से ऋण एवं ब्याज का समायोजन नहीं किया गया है और इसलिए बकाया राशि को छत्तीसगढ़ शासन के ऋण के रूप में बहाल किया गया है।

[12] छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में इसकी चार सहायक ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज के लिये पूँजी जारी की। इसलिये, सरकार की निधि के निवेश हेतु होल्डिंग कम्पनी की कम हुई पूँजी (सहायक कम्पनियों में निवेश की गयी पूँजी की सीमा तक) एवं तीन सहायक पीएसयूज की अंश पूँजी (जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के सीधे ऋण/अनुदान/सब्सिडी के रूप में निवेश किया है) को लिया गया है ***(अनुलग्नक–1.1)***। छत्तीसगढ़ शासन के निवेश हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी को नहीं लिया गया है।

अवधि के निवेश की वर्षवार स्थिति चार्ट–1.2 में दर्शाई गई है।

चार्ट–1.2: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश

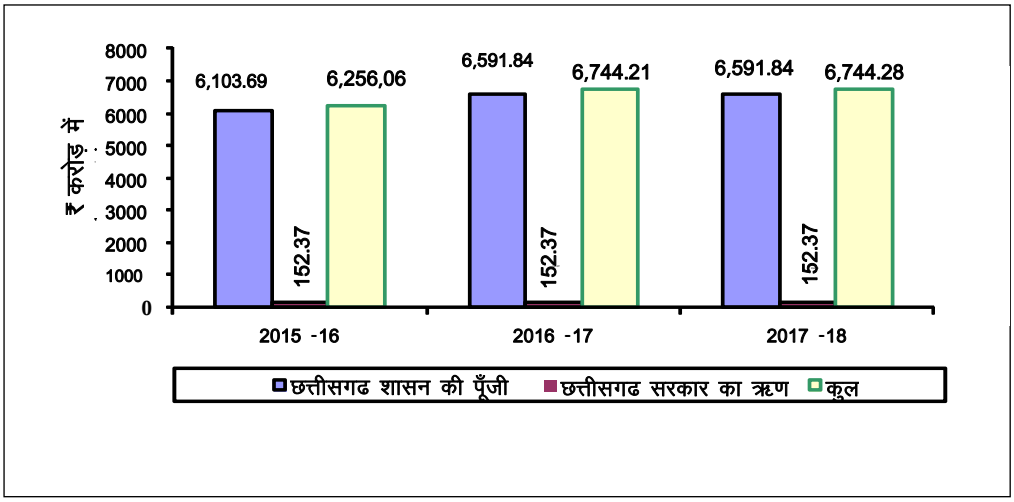

कम्पनी की लाभदायकता पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, पूँजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में हुई लाभ अथवा हानि से पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि से मापा जाता है एवं कुल निवेश के लाभ के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी उपयोग की गई कार्यरत पूँजी से मापता है एवं इसकी गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है। पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन का माप है जिसकी गणना करों से पश्चात के लाभों को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है।

निवेश पर प्रतिफल

1.9 निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश से प्रतिशत है। 2015–16 से 2017–18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के सभी उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि[13] की समग्र स्थिति को चार्ट–1.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट–1.3: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि

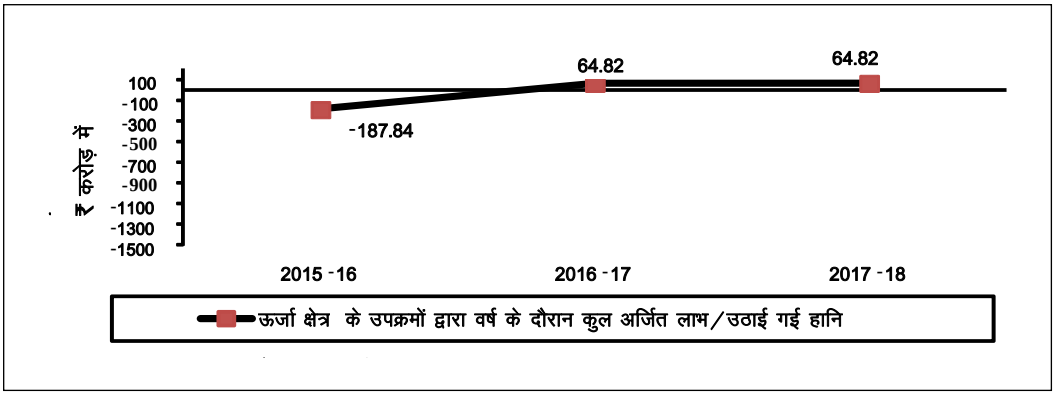

[13] आंकड़ें संबंधित वर्ष के अद्यतन अंतिम लेखों पर आधारित है।

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा 2015–16 में हुई ₹ 187.84 करोड़ की हानि के विरूद्ध 2017–18 में अर्जित लाभ ₹ 64.82 करोड़ था। इस प्रतिवेदन में शामिल की गई पीएसयूज के अद्यतन अंतिम लेखों के अनुसार, तीन पीएसयूज ने ₹ 489.52 करोड़ का लाभ कमाया तथा दो पीएसयूज को ₹ 424.70 करोड़ ***(अनुलग्नक–1.2)*** की हानि हुई। लाभ कमाने वाली कम्पनियों में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹ 336.49 करोड़) तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (₹ 152.06 करोड़) थी जबकि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को अत्यधिक (₹ 421.76 करोड़) हानि हुई थी।

2015–16 से 2017–18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि की स्थिति को तालिका –1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका–1.6: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने लाभ अर्जित किया/हानि उठाई

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज की कुल संख्या	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान हानि उठाने वाले पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान लाभ/हानि नहीं हुआ
2015–16	5	3	2	–
2016–17	5	3	2	–
2017–18	5	3	2	–

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल

1.10 सरकार द्वारा चार ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में महत्वपूर्ण निवेश को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार के दृष्टिकोण से इस निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती हैं। इसलिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किये गये निवेश पर वास्तविक प्रतिफल का पता लगाने के लिये धन के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए निवेश पर प्रतिफल की गणना की गई। राज्य सरकार के निवेश पर वर्तमान मूल्य की गणना पूर्ववर्ती बिजली बोर्ड (2008–09) के पुनर्गठन के बाद इन कम्पनियों की बैंलेस शीट को अंतिम रूप दिये जाने से 31 मार्च 2018 तक की गई है, जहाँ राज्य सरकार द्वारा पूँजी, ब्याज मुक्त/बकाया दीर्घावधि ऋण एवं पूँजी अनुदानों के रूप में निवेश किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित धनराशि के वर्तमान मूल्य की गणना निम्न धारणाओं के आधार पर की गई है :

- ब्याज मुक्त/बकाया दीर्घावधि ऋण एवं पूँजी अनुदानों को राज्य सरकार द्वारा किये गये धन का निवेश माना गया है। इसके अतिरिक्त, उन प्रकरणों में जिनमें पीएसयूज को दिया गया ब्याज मुक्त ऋण बाद में पूँजी में परिवर्तित किया गया है, पूँजी में परिवर्तित ऋण का मूल्य ब्याज मुक्त ऋण के मूल्य में से घटाया गया है तथा उस वर्ष की पूँजी में जोड़ा गया है। *कंडिका 1.19* में संदर्भित उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान को छोडकर राजस्व अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में दिये गये धन को निवेश नहीं माना गया है।

- संबंधित वित्तीय वर्ष[14] के लिये राज्य सरकार के धन के वर्तमान मूल्य की गणना करने के लिये सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को छूट की दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गये धन पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है।

एक[15] ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू जिसमें छत्तीसगढ़ शासन ने निवेश किया था ने 2015–16 से 2017–18 के दौरान हानि वहन की थी, हानि के कारण निवल मूल्य का क्षरण निष्पादन की अधिक उपयुक्त माप है। कम्पनी के निवल मूल्य के क्षरण पर *कंडिका 1.12* में टिप्पणी की गई है।

1.11 इन चार ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज में 2008–09 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा पूँजी, ब्याज मुक्त/बकाया दीर्घावधि ऋण एवं पूँजी अनुदानों के रूप में निवेश की स्थिति एवं इनमें 2008–09 से 31 मार्च 2018 तक के लिये राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति तालिका–1.7 में दर्शाई गयी है।

[14] सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिये राज्य वित्त (छत्तीसगढ़ शासन) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन से अपनाई गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर की गणना =ब्याज भुगतान {(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताएं +वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2}X100

[15] सीएसपीडीसीएल

तालिका–1.7: 2000–01 से 2017–18 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई धनराशि एवं सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई पूँजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त/ भुगतान न किया गया ऋण, पूँजी अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल लाभ[16]
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii={vii*(1 +vi)/100}	ix={vii*vi/ 100}	x
2007.08 तक	–	24.92	–	24.92	–	–	41.31	–	–
2008–09	41.31	5,106.84	29.50	5,136.34	7.36	5,177.65	5,558.72	381.07	136.94
2009–10	5,558.72	0.00	200.80	200.8	7.13	5,759.52	6,170.17	410.65	435.29
2010–11	6,170.17	0.00	78.49	78.49	7.34	6,248.66	6,707.32	458.65	296.51
2011–12	6,707.32	900.00	100.00	1,000.00	7.08	7,707.32	8,252.99	545.68	280.80
2012–13	8,252.99	704.00	182.73	886.73	6.34	9,139.72	9,719.18	579.46	–1,883.53
2013–14	9,719.18	22.00	172.12	194.12	6.12	9,913.30	10,520.00	606.69	–492.35
2014–15	10,520.00	0.00	200.81	200.81	6.16	10,720.81	11,381.21	660.40	–1,334.29
2015–16	10,727.09	–654.12[17]	1,102.70	448.58	6.25	11,175.67	11,874.15	698.48	–185.68
2016–17	11,874.15	488.20[18]	296.47	784.67	6.62	12,658.82	13,496.83	838.01	67.76
2017–18	13,496.83	0.00	1,338.11	1,338.11	6.38	14,834.94	15,781.41	946.47	67.76
कुल योग		**6,591.84**	**3,701.73**	**10,293.57**					

वर्ष के अंत में राज्य सरकार द्वारा इन चार कम्पनियों में निवेशित धनराशि का अधिशेष वर्ष 2007–08 में ₹ 24.92 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017–18 में ₹ 10,293.57 करोड़ हो गया था क्योंकि राज्य सरकार ने पूँजी (₹ 6,566.92 करोड़), ब्याज मुक्त ऋण एवं पूँजी अनुदान (₹ 3,701.73 करोड़) के रूप में अतिरिक्त धनराशि निवेश की थी। राज्य सरकार द्वारा निवेश का वर्तमान मूल्य 31 मार्च 2018 को ₹ 15,781.41 करोड़ आता है।

2008–09 से 2011–12 (2009–10 को छोड़कर) की अवधि के दौरान इन पीएसयूज का कुल लाभ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किये गये निवेश के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से काफी नीचे रहा। इसके अलावा, इन पीएसयूज का कुल लाभ 2012–13 से 2015–16 के दौरान संबंधित वर्ष के लिए ऋणात्मक रहा जो कि यह दर्शाता है कि

[16] वर्ष के लिए कुल आय संबंधित वर्ष के लिए उन ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, के शुद्ध आय (लाभ/हानि) को दर्शाता है।

[17] पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी) का 1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2009 की अवधि से संबंधित अधिशेष राजस्व को सीएसईबी के विभाज़न के बाद सीएसपीएचसीएल द्वारा अंश आवेदन राशि के रूप में रखा गया था। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन ने निर्णय लिया (2015–16) कि राशि ₹ 654.12 करोड़ सीएसपीडीसीएल की आय थी और इसलिये सीएसपीडीसीएल को हस्तांतरित की गयी, जिसे सीएसपीडीसीएल के 2015–16 के लाभ एवं हानि खाते में असाधारण मद (आय) के रूप में माना गया। इस प्रकार, ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में छत्तीसगढ़ शासन की पूँजी निवेश उस सीमा तक कम कर दिया गया है।

[18] आंकड़े में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीएचसीएल) के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड को पूँजी के रूप में प्रदान की गई ₹ 490 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन की दिनांक 17 जुलाई 2017 की अधिसूचना क्रं. 1816/एफ–21/13/13–2/2014 द्वारा सीएचपीएचसीएल की पूँजी को अंतिम बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए ₹ (–) 1.80 करोड़ से समायोजित किया गया था। अतः वर्ष 2016–17 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निवेशित कुल पूँजी को ₹ 488.20 करोड़ (₹ 490.00 करोड़ – ₹ 1.80 करोड़) लिया गया है।

निवेशित धन राशि पर प्रतिफल अर्जित करने के स्थान पर, यह कम्पनियाँ इस अवधि के दौरान सरकार की धन की लागत को भी नहीं वसूल कर पाई।

इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन के निवेश में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को उदय योजना के अंतर्गत कम्पनी के बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों के अधिग्रहण हेतु 2015–16 के दौरान ₹ 870.12 करोड़ का अनुदान भी सम्मिलित है।

निवल मूल्य का क्षरण

1.12 प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय एवं आधिक्य लाभ में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने पर कुल योग निवल मूल्य होता है। वास्तव में यह स्वामियों के लिए उपक्रम के मूल्य का माप है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है।

31 मार्च 2018 की स्थिति में दो पीएसयूज की संचित हानियाँ ₹ 6,839.32 करोड़ थी। इन दो पीएसयूज में से, एक पीएसयू (सीएसपीडीसीएल) ने वर्ष 2017–18 में ₹ 421.76 करोड़ की हानि उठाई एवं एक पीएसयू (सीएसपीजीसीएल) को वर्ष 2017–18 में हानि नहीं हुई, यद्यपि इसकी संचित हानि ₹ 843.04 करोड़ ***(अनुलग्नक–1.2)*** थी। कोई भी पीएसयू विघटन/समापन/परिसमापन/रणनीतिक विनिवेश के अधीन नहीं था।

दो पीएसयूज में से एक (सीएसपीडीसीएल) के निवल मूल्य का संचित हानि द्वारा पूर्णतया क्षरण हो चुका था एवं इसका निवल मूल्य ऋणात्मक था। 31 मार्च 2018 की स्थिति में पूँजी निवेश ₹ 2,263.10 करोड़ के विरूद्ध पीएसयूज का निवल मूल्य (–) ₹ 3,733.18 करोड़ था।

एक पीएसयू (सीएसपीडीसीएल) के संबंध में जिसकी पूँजी का क्षरण हो चुका था, 31 मार्च 2018 को सरकार के बकाया ₹ 86.42 करोड़ ऋण का भी स्वतः क्षरण हो गया।

एक पीएसयू (सीएसपीजीसीएल) के संबंध में 31 मार्च 2018 की समाप्ति पर निवल मूल्य ₹ 1,971.26 करोड़, प्रदत्त पूँजी ₹ 2,814.30 करोड़ से कम था जो इसकी संभावित वित्तीय कमजोरी का संकेत करता है।

2015–16 से 2017–18 के दौरान सीएसपीडीसीएल की प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानि एवं निवल मूल्य तालिका–1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका–1.8: 2015–16 से 2017–18 के दौरान हानि में चल रहे ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम सीएसपीडीसीएल का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में संचित लाभ(+)/हानि(–)	स्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2015–16	2,326.37	–5,574.52	–	–3,248.15
2016–17	2,263.10	–5,996.28	–	–3,733.18
2017–18	2,263.10	–5,996.28	–	–3,733.18

लाभांश का भुगतान

1.13 राज्य सरकार ने राज्य पीएसयूज के लिए कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की है। चार पीएसयूज में से तीन जिन्होंने ₹ 4,328.74 करोड़[19] की सरकारी पूँजी पर ₹ 489.52 करोड़ का कुल लाभ कमाया, उनके अद्यतन अंतिम लेखों के अनुसार, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उनके लाभ से कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं था। चार ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज जिनमें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूँजी निवेश किया गया था, के लिए अवधि के दौरान लाभांश भुगतान तालिका–1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका–1.9: 2015–16 एवं 2017–18 की अवधि के दौरान चार ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएसयूज जिनमें छत्तीसगढ़ शासन का पूँजी निवेश है		वर्ष के दौरान लाभ कमाने वाली पीएसयूज		वर्ष के दौरान पीएसयूज द्वारा घोषित लाभांश/भुगतान		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	पीएसयूज की संख्या	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूँजी का निवेश	पीएसयूज की संख्या	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूँजी का निवेश	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज द्वारा घोषित लाभांश/भुगतान	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2015–16	4	6,103.64	3	3,777.27	–	–	–
2016–17	4	6,591.84	3	4,328.74	–	–	–
2017–18	4	6,591.84	3	4,328.74	–	–	–

2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान लाभ कमाने वाली तीन पीएसयूज में से किसी भी पीएसयू ने छत्तीसगढ़ शासन को लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं किया। आगे के विश्लेषण से पता चला कि इन कम्पनियों में से किसी ने भी स्थापना के बाद से कोई लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया।

पूँजी पर प्रतिफल

1.14 पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)[20] वित्तीय निष्पादन का एक माप है जिससे यह मूल्याकंन किया जाता है कि प्रबंधन द्वारा कम्पनी की संपत्ति का उपयोग लाभों के सृजन करने में किस प्रभाव से किया गया है एवं इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात् करों के पश्चात् शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों की निधि एवं छत्तीसगढ़ शासन के ऋणों के योग से विभाजित कर के की जाती है। इसको प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी कम्पनी के लिए की जा सकती है यदि शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्यायें हैं।

तीन लाभ कमाने वाली ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, के लिए पूँजी पर प्रतिफल की गणना की गई है। 2015–16 से 2017–18 की अवधि के लिए इन लाभ कमाने वाले ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में शेयरधारकों की निधि एवं आरओई का विवरण तालिका–1.10 में दिया गया है।

[19] सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल एवं सीएसपीएचसीएल की प्रदत्त पूँजी इनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार।

[20] पूँजी पर प्रतिफल= (कर के बाद का शुद्ध लाभ एवं अधिमान्य लाभांश/पूँजी)*100 जहाँ पूँजी = प्रदत्त पूँजी+मुक्त संचय +छत्तीसगढ़ शासन के ऋण–संचित हानि–स्थगित राजस्व व्यय।

तालिका–1.10: तीन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों जिनमें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा धन का निवेश किया गया है, से संबंधित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	वर्ष के लिए शुद्ध आय/कुल अर्जन[21] (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	आरओई (%)
2015–16	366.27	2,869.72[22]	12.76
2016–17	489.52	3,910.71[23]	12.52
2017–18	489.52	3,910.71[24]	12.52

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, मार्च 2018 को समाप्त अन्तिम तीन वर्षों के दौरान, शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि अवधि 2015–16 से 2017–18 के दौरान 12.52 प्रतिशत से 12.76 प्रतिशत के मध्य रही।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.15 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभप्रदत्ता एवं दक्षता को उसकी कार्यरत पूँजी से मापता है।

आरओसीई की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों के पूर्व के आय (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी[25] से विभाजित करके की जाती है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित पीएसयूज के लिए 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान आरओसीई का विवरण तालिका–1.11 में दिया गया है।

तालिका–1.11: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (%)
2015–16	720.03	10,858.17	6.63
2016–17	1,507.91	12,808.47	11.77
2017–18	1,507.91	12,808.47	11.77

मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड़ की हानियों में कमी एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड़ एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड़ के लाभों में वृद्धि के कारण ईबीआईटी वृद्धि के कारण आरओसीई 2015–16 में 6.63 प्रतिशत से सुधरकर 2017–18 में 11.77 प्रतिशत हो गया।

कम्पनियों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

1.16 कम्पनियाँ जिनमें 2015–16 से 2017–18 के दौरान ऋण थे, के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के ऋणों

---

[21] संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखों के आधार पर।

[22] शेयरधारकों की निधि के आंकड़ें में सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल एवं सीएसपीएचसीएल का निवल मूल्य (₹ 2,803.70 करोड़) एवं सीएसपीजीसीएल (₹ 50.33 करोड़) तथा सीएसपीटीसीएल (₹ 15.69 करोड़) का छत्तीसगढ़ शासन का ऋण सम्मिलित है।

[23] शेयरधारकों की निधि के आंकड़ें में सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल एवं सीएसपीएचसीएल का निवल मूल्य (₹ 3,844.69 करोड़) एवं सीएसपीजीसीएल (₹ 50.33 करोड़) तथा सीएसपीटीसीएल (₹ 15.69 करोड़) का छत्तीसगढ़ शासन का ऋण सम्मिलित है।

[24] शेयरधारकों की निधि के आंकड़ें में सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल एवं सीएसपीएचसीएल का निवल मूल्य (₹ 3,844.69 करोड़) एवं सीएसपीजीसीएल (₹ 50.33 करोड़) तथा सीएसपीटीसीएल (₹ 15.69 करोड़) का छत्तीसगढ़ शासन का ऋण सम्मिलित है जैसा कि क्रमशः अनुलग्नक–1.2 एवं अनुलग्नक–1.1 में दर्शाया गया है।

[25] नियोजित पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घावधि ऋण – संचित हानि – स्थगित राजस्व व्यय आंकड़ें पीएसयूज के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया गया है, के अनुसार है।

के भुगतान करने की कम्पनियों की क्षमता का मूल्याकंन करने के लिए किया गया था। इसका मूल्याकंन ब्याज कवरेज अनुपात के माध्यम से किया गया है।

ब्याज कवरेज अनुपात

1.17 ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना कम्पनी की ईबीआईटी को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक के नीचे का ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। इस प्रतिवेदन में शामिल पीएसयूज जिनमें बकाया ऋण थे, के 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण तालिका–1.12 में दिया गया है।

तालिका–1.12: ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी[26] (₹ करोड़ में)	कम्पनियों की संख्या जिनमें सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण का दायित्व था	कम्पनियों की संख्या जिनका ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था	कम्पनियों की संख्या जिनका ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था
2015–16	907.74	721.78	3	2	1
2016–17	1,442.61	1,509.40	3	2	1
2017–18	1,442.61	1,509.40	3	2	1

यह देखा गया कि 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों जिनमें ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था, की संख्या दो थी। इसके अतिरिक्त, एक पीएसयू (सीएसपीडीसीएल) के लिए 2015–16 से 2017–18 की पूरी अवधि के दौरान ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था जो पीएसयू में दिवालियापन के उच्च जोखिम को इंगित करता है।

राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

1.18 31 मार्च 2018 की स्थिति में, तीन पीएसयूज को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदत्त दीर्घावधि ऋणों पर ₹ 41.57 करोड़ का ब्याज बकाया था। पीएसयूज में छत्तीसगढ़ शासन के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण तालिका–1.13 में दर्शाया गया।

तालिका–1.13: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	पीएसयूज का नाम	ऋणों पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम से बकाया	एक से तीन वर्षों से बकाया	तीन से अधिक वर्षों से बकाया
1	सीएसपीजीसीएल	16.61	4.28	8.56	3.77
2	सीएसपीटीसीएल	5.53	1.40	4.13	–
3	सीएसपीडीसीएल	19.43	7.41	12.02	–
योग		**41.57**	**13.09**	**24.71**	**3.77**

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता

1.19 ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत

[26] दीर्घावधि ऋण वाली पीएसयूज के ईबीआईटी संबंधी आंकड़ें।

वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के संचालन एवं वित्तीय बदलाव के लिए उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय योजना) प्रारम्भ (20 नवम्बर 2015) की। उदय योजना के प्रावधानों के अनुसार, भाग लेने वाले राज्यों को डिस्कॉम्स के संचालन एवं वित्तीय परिवर्तन के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे।

संचालन क्षमता में सुधार के लिए योजना

1.19.1 भागीदार राज्यों को विभिन्न लक्षित गतिविधियाँ जैसे फीडर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर (डीटी) की अनिवार्य मीटरिंग, कंज्यूमर इंडेक्सिंग एवं हानियों की जीआईएस मैपिंग, ट्रांसफॉर्मर या मीटरों का उन्नयन या बदलना, प्रति माह 200 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा कुशल उपकरणों के माध्यम से मांग पक्ष का प्रबंधन (डीएसएम), दरों का तिमाही पुनरीक्षण, बिजली चोरी की जाँच करने के लिए व्यापक आईईसी अभियान, उन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि का आश्वासन जहां संचालन क्षमता में सुधार के लिए एटीएंडसी हानि को कम किया गया है, आदि करने की आवश्यकता थी। इन लक्षित क्रियाकलापों के लिए निर्धारित समयसीमा के अनुसरण की भी आवश्यकता थी ताकि लक्षित लाभ की उपलब्धि जैसे फीडर एवं डीटी स्तर पर हानियों को चिन्हित करने की क्षमता, हानि वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी नुकसान एवं कटौतियों को कम करना, विद्युत की चोरी को कम करना एवं चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, उच्चतम लोड एवं ऊर्जा के उपभोग को कम करना आदि, सुनिश्चित किया जा सके। परिचालन सुधारों के परिणाम संकेतकों के माध्यम से मापे जाने थे जैसे कि वर्ष 2018–19 में एमओपी एवं राज्यों द्वारा अंतिम रूप दिए गए हानियों की कमी के प्रक्षेपवक्र के अनुसार हानि को 15 प्रतिशत तक कम करना, आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व के बीच अंतर में कमी करके 2018–19 तक शून्य करना आदि था।

वित्तीय बदलाव के लिए योजना

1.19.2 भागीदार राज्यों को 30 सितम्बर 2015 तक डिस्कॉम्स के बकाया ऋण के 75 प्रतिशत का अधीग्रहण करना था, अर्थात् 2015–16 में 50 प्रतिशत एवं 2016–17 में 25 प्रतिशत। वित्तीय बदलाव के लिए योजना में अन्य बातों के लिए प्रावधान था कि:

- राज्य गैर वैधानिक तरलता अनुपात (गैर एसएलआर) ऋणपत्र जारी करेगा एवं ऐसे ऋणपत्रों के जारी होने से प्राप्त होने वाली आय को डिस्कॉम को स्थानांतरित कर देगा जो बैंको/वित्तीय संस्थानों की ऋण की राशि का भुगतान कर देगा। इस प्रकार जारी किए गए ऋणपत्रों की 10 से 15 साल की परिपक्वता अवधि होगी जिसमें 5 साल तक मूलधन न चुकाने की छूट होगी।

- डिस्कॉम के ऋण में पहले देय ऋण को प्राथमिकता में लिया जाएगा, इसके बाद उच्च लागत वाले ऋण को लिया जाएगा।

- 2015–16 एवं 2016–17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम को हस्तांतरण एक अनुदान के रूप में होगा जो कि तीन वर्षों में डिस्कॉम को राज्य ऋण के माध्यम से शेष हस्तांतरण के साथ विस्तारित किया जा सकता है। असाधारण मामलों में, 25 प्रतिशत अनुदान पूँजी के रूप में दिया जा सकता है।

उदय योजना का कार्यान्वयन

1.19.3 उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण आगे दिया गया है:

अ. परिचालन मापदण्डों की उपलब्धि

उदय योजना के अंतर्गत सीएसपीडीसीएल से संबंधित विभिन्न परिचालन मापदण्डों के तहत लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ तालिका–1.14 में दर्शाया गया है।

तालिका–1.14: 31 मार्च 2018 तक संचालन निष्पादन के लक्ष्य एवं मापदण्डवार उपलब्धियाँ

मापदण्ड	एमओयू के अनुसार लक्ष्य अवधि	लक्ष्य	उपलब्धि
वित्तीय बदलाव			
डिस्कॉम्स के ऋणों का छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुदान में रूपान्तरण द्वारा अधिग्रहण (₹ करोड़ में)	2015–16	865.20	870.12 (प्राप्ति)
एटीएंडसी हानि में कमी (प्रतिशत में)	2017–18	18	19.07
एसीएस–एआरआर अंतर का विलोपन (₹ प्रति इकाई तक)	2017–18	–0.34	–0.03
समय पर टैरिफ संशोधन	2017–18	समय पर टैरिफ याचिका दाखिल करना	कोई विलंब नहीं
बिलिंग दक्षता (प्रतिशत में)	2017–18	85.28	84.54
संग्रहण दक्षता (प्रतिशत में)	2017–18	99.66	82.93
परिचालन बदलाव			
वितरण ट्रांसफॉर्मरस् की मीटरिंग (शहरी) (संख्या में)	2017–18	92,811	1,857
वितरण ट्रांसफॉर्मरस् की मीटरिंग (ग्रामीण) (संख्या में)	2017–18	1,04,488	3,859
फीडर मीटरिंग (ग्रामीण) (संख्या में)	2017–18	2,023	1,687
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)	2017–18	2,793	921
500 किलोवाट से ऊपर स्मार्ट मीटरिंग (संख्या में)	2017–18	2,92,984	कोई प्रगति नहीं
असम्बंद्ध परिवारों तक विद्युत पहुँच (लाख में)	2017–18	6.40	7.14 (प्राप्ति)
उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी का वितरण (लाख में)	2017–18	75	124.85 (प्राप्ति)
भौतिक फीडर पृथकरण (संख्या में)	2017–18	1,179	103

(स्त्रोतः पीएसयूज से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

राज्य ने 200 इकाई प्रतिमाह से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग की कार्यवाही प्रारभ नहीं की है, इसने ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफॉर्मरस् की मीटरिंग, फीडर मीटरिंग एवं फीडर पृथकरण में खराब प्रदर्शन किया है जबकि संबंद्ध परिवारों को विद्युत प्रदान करने एवं एलईडीज के वितरण में प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य की एटीएंडसी हानि 15 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध 2018–19 तक 19.84 प्रतिशत थी। अतः राज्य एटीएंडसी हानि में कमी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल नहीं कर सका।

ब. वित्तीय बदलाव का कार्यान्वयन

1.19.4 राज्य डिस्कॉम्स की संचालन एवं वित्तीय दक्षता में सुधार के उद्देश्य के साथ ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने, विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय बदलाव के लिए एक योजना, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) प्रारम्भ (नवम्बर 2015) की।

भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) के मध्य, पहचाने गये वित्तीय एवं संचालन लक्ष्यों के साथ योजना के कार्यान्वयन हेतु सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर (जनवरी 2016) किए गए। उदय योजना एवं त्रिपक्षीय एमओयू के प्रावधानों के

अनुसार 30 सितम्बर 2015 तक सीएसपीडीसीएल से संबंधित कुल बकाया ऋण (₹ 1,740.24 करोड़) में से छत्तीसगढ़ शासन को ₹ 1,305.18 करोड़ (कुल ऋण का 75 प्रतिशत) का अधिग्रहण करना था जिसके विरूद्ध 2015–16 में ₹ 870.12 करोड़ एवं 2016–17 में ₹ 435.06 करोड़ का अनुदान प्रदान किया जाना था।

हॉलांकि, राज्य सरकार एवं सीएसपीडीसीएल ऋणपत्रों से ऋणों के अपवर्जन के कारण छत्तीसगढ़ शासन ने सीएसपीडीसीएल के मूल ऋणों को ₹ 1,153.60 करोड़ द्वारा संशोधित किया जिसके लिए छत्तीसगढ़ शासन केवल ₹ 865.20 करोड़ (₹ 1,153..60 करोड़ का 75 प्रतिशत) का अनुदान देने हेतु उत्तरदायी थी।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणियाँ

1.20 ऊर्जा क्षेत्र की पाँच कम्पनियों ने 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि के दौरान अपने पाँच लेखा परीक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। सभी पाँच लेखों को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दर्शाती है कि लेखों की गुणवत्ता में सारभूत सुधार करने की आवश्यकता है। 2015–18 के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका–1.15 में दिया गया है।

तालिका–1.15: लेखापरीक्षा टिप्पणियों का ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	विवरण	2015–16		2016–17		2017–18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1	लाभ में कमी	2	9.68	3	20.75	31 दिसंबर 2018 तक वर्ष 2017–18 के लिए ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के लेखें अंतिमीकृत नहीं हुए थे।	
2	लाभ में वृद्धि	–	–	–	–		
3	हानि में वृद्धि	1	7.93	1	167.79		
4	हानि में कमी	1	26.34	–	–		
5	महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना	–	–	4	281.62		
6	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	–	–	–	–		

(स्त्रोतः सरकारी कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों से संकलित)

वर्ष 2017–18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने पाँच लेखों पर मर्यादित प्रमाण–पत्र जारी किये थे। पीएसयू द्वारा लेखा मानकों की अनुपालना कमजोर रही थी क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एक लेखा में लेखा मानकों के अनुपालन नहीं करने के दो मामलों को उल्लेखित किया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

1.21 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन के भाग–1 के लिए ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड के ''अटल बिहारी वायपेयी तापीय विद्युत गृह, मड़वा के निर्माण व परिचालन'' ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के प्रधान सचिव को छः सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा का उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त हो गया है (नवम्बर 2019) एवं इस प्रतिवेदन में उचित रूप से समाहित कर लिया गया है। निष्पादन लेखापरीक्षा का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 4,099.47 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

1.22 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा का उत्पाद हैं। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाये। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से तीन माह की अवधि में, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किए बिना, निर्धारित प्रारूप में, उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के निर्देश जारी (अप्रैल 2017) किये थे।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

1.23 31 दिसम्बर 2018 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयूज) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कंडिकाओं पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति तालिका–1.16 में दर्शायी गयी है।

तालिका–1.16: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं 31 दिसम्बर 2018 की स्थिति पर चर्चा किये गए निष्पादन लेखापरीक्षाएँ/कंडिकाएँ

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा की गई कंडिकायें	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका
2008–09	–	04	–	02 (4.3.1, 4.3.2)
2009–10	01(सीएसपीजीसीएल)	–	01	–
2010–11	01(सीएसपीडीसीएल)	01	01	01 (4.3.8)
2011–12	01(सीएसपीटीसीएल)	05	–	05 (3.6 से 3.10)
2012–13	–	03	–	03 (3.7 से 3.9)
2013–14	–	04	–	–
2014–15	–	06	–	–
2015–16	01(आरएपीडीआरपी)	01	–	–
2016–17	–	–	–	–

(स्त्रोतः लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू में की गई चर्चा के आधार पर संकलित)

कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.24 मार्च 2006 में राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये गये कोपू के एक प्रतिवेदन[27] पर राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र) कार्यवाही टिप्पणियाँ (एटीएन) प्राप्त नहीं (31 दिसम्बर 2018) हुई थी जैसा कि तालिका–1.17 में दर्शाया गया है।

तालिका–1.17: कोपू के प्रतिवेदनों की अनुपालना

कोपू के प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू के प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुशंसा की संख्या	अनुशंसा की संख्या जिन पर एटीएन प्राप्त नही हुई
2004–05	01	01	01

(स्त्रोतः कोपू की अनुशंसाओं पर छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित विभागों से प्राप्त कार्यवाही टिप्पणियों के आधार पर संकलित)

[27] ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित, जो वर्ष 2004–05 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों मे सम्मिलित था।

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदन में वर्ष 2004–05 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड से संबंधित कंडिकाओं के संबंध में अनुशंसाएँ सम्मिलित थी।